दिनांक 16.09.2017 को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित राजस्व संबंधी बैठक में निम्नांकित महत्त्वपूर्ण निदेश दिये गये :–

1. खनन विभाग :–

प्राथमिकता के आधार पर लघु खनिजों के भंडार हेतु 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने हेतु विभागीय प्रधान सचिव का पत्र प्राप्त है। सभी जिले में शीघ्र भूमि उपलब्ध करानी है।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

2. सहकारिता :–

आंतरिक संसाधनों के आकड़ों के संबंध में आयुक्त महोदय के द्वारा यह कहा गया कि वार्षिक लक्ष्य में ऋणों की वसूली को भी शामिल किये जाने की आवश्यकता है।

(अनुपालन–जिला सहकारिता पदाधिकारी, खगड़िया)

3. विद्युत :–

बड़े बकायेदारों की सूची के आधार पर प्राथमिकता देते हुए वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित की जानी है एवं उपभोक्ताओं को दी जाने वाली बिल की शुद्धता पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

(अनुपालन – विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, खगड़िया)

4. नगर परिषद् एवं नगर पंचायत :–

सभी होल्डिंग के लिए Self Assesement की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्रपत्र लोगों के बीच बितरित किये जाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं होल्डिंग टैक्स का निर्धारण कर जमा कर सकें।

(अनुपालन – कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, खगड़िया,
कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, गोगरी)

5. जिला राजस्व :–

सैरातों के संबंध में यह निदेश दिया गया कि ऐसे सैरात जो वास्तव में रद्द एवं पंजी से बाहर किये जाने योग्य हैं उनका आकलन कर प्रस्ताव शीघ्र समर्पित किये जायें। अन्य सभी सैरातों की नियमानुसार समयबद्ध वन्दोवस्ती कर दी जाय।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

6. सात निश्चय :–

ऐसे सभी मामले जिसमें भूमि की आवश्यकता है उसमें भूमि तत्काल उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाय। खगड़िया जिला में ऐसे 4 मामले हैं जिसमें भूमि चिन्हित नहीं है।

(अनुपालन– अपर समाहर्त्ता, खगड़िया)

7. वित्त विभाग :–

निदेश दिया गया कि सभी विभागों के खातों का सत्यापन कर निर्धारित प्रपत्र में समयानुसार प्रतिवेदन वित्त विभाग को अवश्य भेज दिया जाय।

(अनुपालन–उप विकास आयुक्त, खगड़िया)

8. लोक शिकायत निवारण :–

लोक शिकायत निवारण से संबंधित सभी मामलों में तेजी लायी जाय तथा लोक शिकायत निवारण में संबंधित लोक प्राधिकार की उपस्थिति एवं अनुपालन प्रतिवेदन सुनिश्चित कराया जाय।

(अनुपालन – जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी / अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, खगड़िया एवं गोगरी)

9. आंतरिक संसाधन :–

निदेश दिया गया कि अगले माह की समीक्षा बैठक के पूर्व सभी विभाग अपने वार्षिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत संसाधनों की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

(अनुपालन–आंतरिक संसाधन से संबंधित सभी विभाग)

उक्त के आलोक में निदेश दिया जाता है कि सभी संबंधित पदाधिकारी उक्त का अनुपालन प्रतिवेदन अगली बैठक के पूर्व अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे ताकि अगली बैठक में अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। इसके लिए जिला राजस्व शाखा, खगड़िया नोडल शाखा के रूप में कार्य करेगा तथा सभी प्रतिवेदनों को प्राप्त कर एवं प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अगली बैठक के तीन दिन पूर्व प्रस्तुत करेगा। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा इसमें व्यक्तिगत रूची लेकर इसे ससमय सम्पन्न करायेंगे।

Sd/-

समाहर्त्ता,
खगड़िया।

ज्ञापांक 2117 /गो0, दिनांक 19-09-17

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, खगड़िया/अपर समाहर्त्ता, खगड़िया/प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा, खगड़िया/सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता,
खगड़िया। 19/9/17